

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 45/2024/ सरफैसी

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 1201 एवं 1202, 12वीं मंजिल, लॉटस कॉर्पोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई-400063 शाखा कार्यालय: द्वितीय तल, प्रेस्टीज टॉवर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल डांगी पता-उपला पाडा, ग्राम-थूर, तहसील-बडगांव, जिला-उदयपुर राजस्थान-3130011
अन्य पता-श्री नाथ दूध डेयरी, ग्राम-थूर, राजस्थान-3130011
2. उषा देवी पता-उपला पाडा, ग्राम-थूर, तहसील-बडगांव, जिला-उदयपुर राजस्थान-3130011

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री आशीष दोगडिया अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 05-03-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 10,65,308/- की जायदाद (भेरूलाल पुत्र श्री मेघा डांगी की सत्पति जो कि एक आवासीय पट्टा ग्राम थूर ग्राम पंचायत-थूर, पंचायत समिति-बडगांव, जिला-उदयपुर राजस्थान में स्थित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 1346 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार है:- पूर्व में - आम रास्ता, पश्चिम में-4 फीट गली के बाद डालू डांगी का पक्का मकान, उत्तर में-देवा पिता उदा का पक्का मकान, दक्षिण में-अर्जुन पिता चेना का पक्का मकान) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.08.2023 तक 11,36,128 /- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/

जिला कलक्टर
उदयपुर

हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 10,65,308/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.08.2023 तक 11,36,128/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (भेरूलाल पुत्र श्री मेघा डांगी की सत्पति जो कि एक आवासीय पट्टा ग्राम थूर ग्राम पंचायत-थूर, पंचायत समिति-बंडगाव, जिला-उदयपुर राजस्थान में स्थित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 1346 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार है:- पूर्व में - आम रास्ता, पश्चिम में-4 फीट गली के बाद डालू डांगी का पक्का मकान, उत्तर में-देवा पिता उदा का पक्का मकान, दक्षिण में-अर्जुन पिता चेना का मकान) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर